

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/10

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाज विज्ञान संकाय अन्तर्गत अर्थशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :—

अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. रिक्त

28(2) दो

1. डॉ. आर.एन. तिवारी,
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,
श.ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

2. डॉ. गीता सिंह,
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,
शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

28(2) तीन

1. रिक्त


28(2) चार

1. डॉ. अंजना सिंह
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,
शा. स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)
2. डॉ. रीता घोष
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,
शा. विवेकानन्द महाविद्यालय, मैहर (म.प्र.)

28(2) पाँच


1. डॉ. सोमदत्त पाण्डेय
शास. महाविद्यालय मऊगंज (म.प्र.)
2. डॉ. विजय बहादुर सिंह
शास. आरशं विज्ञान महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ. आर.एन. तिवारी, को अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

- कुलधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
- अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
- संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
- कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
- निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
- कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)